



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232167
CG-DL-E-27122021-232167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4997]
No. 4997]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5388(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् उसकी यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलीफास्फोरिक एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 2021 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन प्रवृत्त होगा।

2. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग—नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-II के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

परंतु इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी—सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति—कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलीफास्फोरिक एसिड	आईएस 17439 : 2020	पॉलीफास्फोरिक एसिड - विनिर्देश

[फा. सं. 13012/18/2020-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, अपर सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2021

S.O. 5388(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely: —

1. Short title, commencement.—(1) This Order may be called the Polyphosphoric Acid (Quality Control) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the One hundred and eighty- first day from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.—The goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-II of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority.—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.

4. Penalty for contravention.—Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyphosphoric Acid	IS 17439 : 2020	Polyphosphoric Acid - Specification

[F. No. 13012/18/2020-Chem. II]

SAMIR KUMR BISWAS, Addl. Secy.